

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/  
जिला कलेक्टर,

जयपुर, दिनांक 10.2.10

3024-68

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,  
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,  
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,  
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सर्वाईमाधोपुर,  
सीकर, सिरौही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।  
राजस्थान।

विषय:—अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के शहरी एवं ग्रामीण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण के संबंध में दिशा निर्देश।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के शहरी क्षेत्रों में चारे की अत्यधिक कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी अनुदानित दर पर चारा वितरण करने हेतु चारा डिपो स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

  
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से प्राप्त मांग के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण राशि 50000/- प्रति डिपो की दर से अविलम्ब आवंटन कराये जाने की व्यवस्था करें।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

  
शासन उप सचिव